राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 951वी बैठक दिनांक 15.06.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्य प्रदेश की 951वीं बैठक दिनांक 15.06.2026 को श्री शिवनारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को (EPCO), पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. सुधीर कुमार कोचर, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुषंसित/ परिवेष पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11012/2023	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/1080/2025	1(a)	रायसेन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
3.	P2/1079/2025	1(a)	रायसेन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
4.	P2/2363/2026	1(a)	मण्डला	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुषंसित नहीं	निरस्त
5.	P2/2364/2026	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/2365/2026	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	4305/2015	1(a)	बालाघाट	मैगनीजओर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरणजारी की जाये।
8.	11095/2023	1(a)	उज्जैन	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	11096/2023	1(a)	मंदसोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/2366/2026	1(a)	शाजापुर	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्वपर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/2367/2026	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्वपर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/2370/2026	1(a)	अनूपपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्वपर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

18.06.26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13.	P2/2373/2026	1(a)	शहडोल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
14.	P2/2375/2026	1(a)	देवास	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1612/2025	1(a)	बालाघाट	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	**जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) जिला मण्डला**				SEAC से अनशंसित	अनुमोदित
17.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से **अन्य** विषय					

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

15.06.26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 951वी बैठक दिनांक 15.06.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.SIA/MP/MIN/554893/2025, Case No. 11012/2023Prior Environment Clearance for Stone Quarry(Opencast semi mechanized method),in an area 2.428 ha.,for Production Capacity of 40014 M3/ Year,at Khasra No. 192/1/2/2, 192/1/2/3, 190/1/2/4, 192/1/2/1, Village- Rampura Chakaladi, TehsilRehti, District- Sehore (Madhya Pradesh) by Baba Stones And Earth Movers, Shri Omprakash Chandravanshi, D-40, Amara State Nayaypura Kolar Road, Bhopal District, M.P.,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **879वी** बैठक दिनांक **28.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में निजी भूमि पर लीज स्वीकृत है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेष पोर्टल पर भू–स्वामी की सहमति अपलोड नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत SEAC द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में भू–स्वामी की सहमति प्राप्त किये जाने एवं प्रकरण का पुनः परीक्षण व अनुमति हेतु प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2. **Proposal No.SIA/MP/MIN/545943/2025, Case No. - P2/1080/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area 5.525 ha. for Production Capacity of 16,000 M3 / year, at Khasra No. 209, Village- Ajayabnagar, Tehsil Raisen, Distt. – Raisen (M.P.) by Exclusive Quarries Private Limited, R/o- 121, Bhatiyanichouhatta, District-udaipur, State-Rajasthan-313001,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **878वी** बैठक दिनांक 28.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–प्र

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ संलग्न पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में पर्यावरण सलाहकार के Original हस्ताक्षर न होते हुए सील के साथ बने हुए हस्ताक्षर लगाए हैं जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लंघन है एवं गंभीर त्रुटि है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बहुमत से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण सलाहकार का Original हस्ताक्षरित नवीन शपथ पत्र 15 दिनों में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए एवं पर्यावरण सलाहकार के विरुद्ध कार्यवाही की किए जाने हेतु NABET/QCI एवं SEAC को पत्र प्रेषित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाए।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. Proposal No.SIA/MP/MIN/546425/2025, Case No. P2/1079/2025, Prior Environment Clearance for Dimensional Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area 3.291 ha., for Production Capacity of 36026 M3 / year, at Khasra No. 176, Village- Ajayabnagar, TehsilRaisen, Distt. - Raisen, (Madhya Pradesh) by M/s. Exclusive Quarries Pvt. Ltd. Address: D-3 Haridas Ji Ki Mangari Udaipur, District-Udaipur (Rajasthan)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 878वीं बैठक दिनांक 24.03.2026 एवं 838वीं बैठक दिनांक 25.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किए जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ संलग्न पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में पर्यावरण सलाहकार के व्तपहपदंस हस्ताक्षर न होते हुए सील के साथ बने हुए हस्ताक्षर लगाए हैं जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लंघन है एवं गंभीर त्रुटि है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बहुमत से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण सलाहकार का Original हस्ताक्षरित नवीन शपथ पत्र 15 दिनों में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए एवं पर्यावरण सलाहकार के विरुद्ध कार्यवाही की किए जाने हेतु NABET/QCI एवं SEAC को पत्र प्रेषित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाए।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. **Proposal No.SIA/MP/MIN/564413/2024, Case No. P2/2363/2026 Prior Environment Clearance for Stone Mine, in an area of 2.96 ha. for production capacity of Stone(Gitti) - 4000 cum per annum, Boulder- 1000 cum per annum &Murrum - 5000 cum per annum, at Khasra No. 270/2, 271 & 295, Village-Dhauranala Tehsil-Mandla District Mandla (M.P.) by Shri Amrit lalbaheliya, owner, R/o- Village-Mali Mohgaon, Tehsil & District-Mandla, M.P .**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 880वी बैठक दिनांक 31.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ..... The google image reveals that this is only new mining proposal in the area therefore in case if single mine is considered for EC the other mines will also be encouraged to come up in the area, resulting cluster formation in the future and will adversely affect the adjoining forest and environment of surrounding area.

In view of above environmental sensitive reasons the proposed site is not considered suitable and case is not recommended for grant of EC"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 13.06.2026 के माध्यम से प्रश्नाधीन प्रकरण को पुनः SEAC को अग्रेषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 880वीं बैठक दिनांक 31.03.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाए।

(सुधीरकुमार कोचर) सदस्य सचिव 18/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. **Proposal No.SIA/MP/MIN/556687/2025, Case No. P2/2364/2026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method),in an area of 2.0 ha., for Production Capacity of Stone (gitti)10,000 m3/ Year & M-Sand 3,000 cum per year, at Khasra No.- 82/2, Village: - lLahi, Tehsil- Shujalpur, District: - Shajapur (M.P) by Shri Shankaralal, Village- Asareta Panwar Tehsil Pachore District Rajgarh (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 880वी बैठक दिनांक 31.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन फार्म एवं ईएमपी में 0.5733 हे. ग्रीन बेल्ट किया जाना बताया गया जो कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 24.02.2024 के अनुसार 33 प्रतिषत नहीं है।
2. फार्म के पार्ट बी के बिन्दु 8.1 में माईन्स वर्कर एवं माईन ऑपरेषन के लिये सरफेस वाटर से पानी लेने का उल्लेख किया गया है किन्तु सरफेस वाटर का सोर्स नहीं बताया गया है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
3. ईएमपी के हेल्थ इमरजेन्सी फण्ड में माईन्स वर्कर के लिये जो फण्ड आवंटित किया गया है वह Sufficient नहीं है पुनः संषोधन ईएमपी प्रस्तुत की जावे।
4. ईएमपी के इमरजेन्सी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राईज फैसिलिटी के लिये कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।
5. आपातकालीन स्थिति के लिये खदान में प्रषिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।
6. CER प्लान क्षेत्रीय आवष्यकता के आधार पर रिवाईज्ड कर प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAc को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जाये कि SEAC द्वारा उक्त बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर प्रकरण परीक्षण/अभिमत के साथ प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीरकुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. **Proposal No. SIA/MP/MIN/564438/2025, Case No. P2/2365/2026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.680 ha.,for Production Capacity of Stone (Gitti) 30,000 m3/ Year at Khasra No.-102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1 & 106/2, Village: Pandhari, Tehsil- Khaknar, District: -Burhanpur(M.P), Shri Shubham Patil, Partner, M/s. Siddhivinayak Infra, R/o- Village Boharda, Tehsil-Burhanpur, District-Burhanpur, M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **880वी बैठक दिनांक 31.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन फार्म एवं ईएमपी में 0.6133 हे. ग्रीन बेल्ट किया जाना बताया गया जो कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 24.02.2024 के अनुसार 33 प्रतिषत नहीं है।
2. पीएफआर में सिर्फ बैरियर जोन में वृक्षारोपण करना बताया गया है जबकि ईएमपी बैरियर जोन, परिवहन मार्ग आदि में वृक्षारोपण करना बताया गया है अतः दोनो में ही विरोधाभाष है। पुनः संषोधन कर प्रस्तुत किया जावे।
3. PFR में Soil Profice की स्थिति नहीं बताई गई है।
4. फार्म के पार्ट बी के बिन्दु 8.1 में माईन्स वर्कर एवं माईन ऑपरेषन के लिये सरफेस वाटर से पानी लेने का उल्लेख किया गया है किन्तु सरफेस वाटर का सोर्स नहीं बताया गया है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
5. ईएमपी के हेल्थ इमरजेन्सी फण्ड में माईन्स वर्कर के लिये जो फण्ड आवंटित किया गया है वह सफिसियन्ट नहीं है पुनः संशोधन ईएमपी प्रस्तुत की जावे।
6. ईएमपी के इमरजेन्सी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राईज फैसिलिटी के लिये कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।
7. आपातकालीन स्थिति के लिये खदान में प्रषिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।
8. CER प्लान क्षेत्रीय आवष्यकता के आधार पर तैयार कर पुनः प्रस्तुत करें।
9. CTE एवं PFR दोनो में ही परियोजना की प्रोजेक्ट कॉस्ट अलग–अलग दी गई है। अतः सही प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जावे।

(सुधीरकुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष
18/6/26	18/6/26	

10. खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में कालेर डेम एवं 335 मीटर की दूरी पर नदी स्थित होने का उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में किया गया है, अतः कालेर डेम एवं नदी की फिजिको केमिकल एवं बायोलॉजिकल अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

11. ईएमपी के बिन्दु 6.1 में उल्लेख किया गया है कि भूमि का नेचर Temprary Change in land form बताया गया है जबकि खनन के उपरांत तो परमानेन्ट की चेंज हो जाता है। ईएमपी में Land Degdration बताया गया है उसके Mitigation उपाय नहीं बताये गये हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जाये कि SEAC द्वारा उक्त बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर प्रकरण परीक्षण/अभिमत के साथ प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीरकुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

7. **Proposal No. SIA/MP/MIN/563497/2026, Case No. 4305/2015 Prior Environmental Clearance for Manganesc Ore Mine (Opencase Mechanized and Underground Method) in an area of 40.47 ha., for ProducationCapicity of 30,000 TPA, at Khasra No. 37/5, Village-Ghondi, Tehsil-Paraswara (Baihar), Distt- Balaghat (MP) by Shri I Patric Dhanraj, R/o 101-c, Parwani complex, Civil Line, Raipur (CG)-492001 regarding transfer of EC in the name of Shri Manish Singh, Partner, Guruji Minirals, C- 514 Prakriti Eden Elite Bawaria Kalan Bhopal (MP).**

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 880वी बैठक दिनांक 31.03.2026 में निम्नानुसार अनुषंसा की गई है :–

.....The committee observed the documents and information submitted on the Portal in view of MoEF&CC OM 03/11/2023, 19.02.2025 the said application for transfer of EC. The lease transfer date 2025/09/01and application for EC transfer is 2026/01/06on portal. The application for EC transfer is made well within 12 months hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC.

It is mentioned that the cases of EC transfer applied well within one year period need notto be routed through SEAC, this may be brought to the notice of MoEF&CC fornecessary correction in the Parivesh Portal...

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 880वी बैठक दिनांक 31.03.2026 में की गई अनुषंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Shri I Patric Dhanraj, R/o 101-c, Parwani complex, Civil Line, Raipur (CG)-492001** के नाम **Manganesc Ore Mine (Opencase Mechanized and Underground Method) in an area of 40.47 ha., for ProducationCapicity of 30,000 TPA, at Khasra No. 37/5, Village-Ghondi, Tehsil-Paraswara (Baihar), Distt- Balaghat (MP)** की जारी पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक**Shri Manish Singh, Partner, Guruji Minirals, C- 514 Prakriti Eden Elite Bawaria Kalan Bhopal (MP)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 1082–83 दिनांक 07.07.2018 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार मूल पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 07.07.2018 से 30 वर्ष (दिनांक 06.07.2048 तक) तक वैध मान्य रहेगी।

II. प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण माननीय उच्चन्यायालय की WP No.38168/2025 के आदेषों के अधीन रहेगी।

(सुधीरकुमार कोचर) 18/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) 18/6/26	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव 18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य 18/6/26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. **Proposal No.SIA/MP/MIN/565801/2025, Case No. 11095/2023 Prior Environment Clearance MurrumQuarry(opencast semi mechanized method),in an area of 2.00 Ha., for Production Capacity of Murrum- 10000 M3/ Year, Khasra No.- 666, Village: Bardiya Tehsil: Badnagar, District: Ujjain (M.P.) by Shri Sunil Yadav, Lessee, R/o Village Madhopur Railway station road, Runija, Tehsil Badnagar, District –Ujjain (M.P).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 880 वी बैठक दिनांक 31.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 880वी बैठक दिनांक 31.03.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुषंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 9920-27 दिनांक 03.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(i) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांष देषांष सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **धार्मिक स्थल (मंदिर) से न्यूनतम 100 मीटर तकनो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राषि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राषि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रषासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रषासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रषासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिष्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राषि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिष्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिषत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) 18/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) 18/6/26	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्ष कर आवष्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/षासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मषीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिष्चित किया जायेगा।

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।

- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18/6/26

9. **Proposal No. SIA/MP/MIN/561654/2025, Case No. 11096/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method),in an area of 2.0 ha., for Production Capacity of 35280 Cu.mt/year, at Khasra No. 1/2, Village - Arniyameena, Tehsil Malhargarh, District -Mandsaur (M.P.) by Shri Akhilesh Saraswat, Lessee, R/o- VillageBalaji Mandir Ke Pass, Kityani, District- Mandsaur, (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **880 वी बैठक दिनांक 31.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्वपर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्ट या परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेष पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रकरण में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों जैसे लीज स्वीकृति आदेष, एकल प्रमाणपत्र, अनुमोदित खनन योजना, ईआईए, पीएफआर, DEIAA EC आदि में रकबा 3.65 हेक्टेयर अंकित है और परियोजना प्रस्तावक ने भी 3.65 हेक्टेयर के लिये ही परिवेष पोर्टल पर आवेदन किया गयाहै, किन्तु SEACसमिति द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में लीज का रकबा 2.00 अंकित करते हुए प्रकरण में अनुषंसा की गई है। SEAC द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त लीज क्षेत्र किस कारण से कम किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक का सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीरकुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. Proposal No.SIA/MP/MIN/569454/2026, Case No. P2/2366/2026 Prior Environment Clearance for Murrum& Stone Quarry (opencast semi mechanized method),in an area of 2.0 Ha., for Production Capacity ofMurrum 1,542 m3/year, Gitti- 12,000 m3/year & M-Sand12,000 m3 /year, at Khasra No – 315, Village: Kumraiyakhas, Tehsil: Badodiya&District: Shajapur (M.P) by Shri Niraj Patidar, Owner, C/o Badrilal ji patidar, Gram - Nipaniyakarju, Shajapur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 880 वी बैठक दिनांक 31.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 880वी बैठक दिनांक 31.03.2026 की विशिष्ट शर्तो एवंस्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुषंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लियागया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा पत्र क्र. I/411296/2025 दिनांक 02.08.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.08.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांष देषांष सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव 15/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य 15/6/26	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिषत बराबर के हिस्से में उपयुक्त** प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 **मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर** पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों **(जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक** सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की **जानकारी अनिवार्यतः जिला** कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध **करावाई जाये।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्ष कर आवष्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/षासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मषीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिष्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीरकुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No.SIA/MP/MIN/568060/2026, Case No. P2/2367/2026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method),in an area of 1.70 Ha., for Production Capacity ofGitti – 6,500 cum/year & M-Sand – 6,500 cum/year, at Khasra No – 442, Village: JiyajipurUrfRetiyakhedi, Tehsil: Shajapur, District: Shajapur (M.P) by Shri Gaurav Joshi, General Manager, Terralight Power Private Limited, 69 Shanti Nagar Khirani Phatak Jaipur RJ 302012.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 880 वी बैठक दिनांक 31.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 880वी बैठक दिनांक 31.03.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुषंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा पत्र क्र. I/267536/2025 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गइ है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक18.05.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांष देषांष सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तकनो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिषत बराबर के हिस्से में उपयुक्त** प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 **मीटर लम्बाई** के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों **(जिसमें 01** अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे **जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक** सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की **जानकारी अनिवार्यतः जिला** कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध **करावाई जाये।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्ष कर आवष्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/षासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मषीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिष्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीरकुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12. Proposal No.SIA/MP/MIN/510013/2026, Case No. – P2/2370/2026 Prior Environmental Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method),in an area 1.408 Hectare, for Production Capacity ofGitti – 11,260 cum/year, Khasra No. 193/1, in Village – Medhakhar, Tehsil – Pushprajgarh, District – Anuppur (M.P.) by Shri Sunil Gupta, 132, Leela Tola, PushprajgadhAnuppur, Distt.- Anuppur (M.P.) – 484881.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **881वी बैठक दिनांक 02.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 881वी बैठक दिनांक 02.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुषंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कियेजाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर द्वारा पत्र क्र. I/533998/2025 दिनांक 05.10.2025 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 01.01.2036 तक) लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.01.2036 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले एवं हाईटेंषन लाईन से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18/6/26

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिषत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्ष कर आवष्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/षासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मषीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिष्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीरकुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18/6/26 16/6/26

13. **Proposal No.SIA/MP/MIN/513824/2025, Case No. P2/2373/2026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method),in an area 1.850 ha., for Production capacity of 8320 m3 /year, at Khasra No. 194, Village – Mau, Tehsil- Beohari, District- Shahdol (M.P.) Shri Sanjay Singh S/O – Shri Late Shri Udayraj Singh R/O Civil Line, Beohari, Tehsil- Beohari, District – Shahdol (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 881 वी बैठक दिनांक 02.04.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्वपर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेष पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों के साथ संलग्न परियोजना प्रस्तावकव पर्यावरण सलाहकार के शपथ पत्र में परियोजना प्रस्तावक के Original हस्ताक्षर न करते हुए Scan किये हुए हस्ताक्षर लगाये है जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.10.2021 का उल्लघंन है एवं गंभीर त्रुटि भी है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बहुमत से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा Original हस्ताक्षरित नवीन शपथ पत्र 15 दिवस में परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. Proposal No.SIA/MP/MIN/510013/2026, Case No P2/2375/2026 Prior Environment Clearance for Stone &Murrum Quarry (opencast semi mechanized method),in an area of 1.660 ha., for Production Capacity ofStone -7,022 m³/year, Murrum – 3,800 m³/year & M-Sand -3,010 m³/year, at Khasra No. 1983,1993/2/2, at Village - Khareli Tehsil- Tonk Khurd District - Dewas (M.P) by Shri Raghvendra Sengar, Owner, Ward no 14 AB Road Makshi DistictShajapur (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 881वी बैठक दिनांक 02.04.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 881वी बैठक दिनांक 02.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुषंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा पत्र क्र. 5105 दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक12.10.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांष देषांष सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तकनो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिषत बराबर के हिस्से में उपयुक्त** प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 **मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर** पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों **(जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त** अनुसार किये गये वृक्षारोपण की **जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं** जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध **करावाई जाये।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्ष कर आवष्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/षासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मषीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिष्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीरकुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य
18/6/26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No.SIA/MP/MIN/532025/2025, Case No P2/1612/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.424 ha., for Production capacity of 12004 cum per annum, at Khasra No. 528, Village – Ansera Tehsil – Waraseoni District- Balaghat (M.P.) by Shri Sujit Kumar, Owner, S/O, Ram bahdursingh, Sherpur, Patna, Bihar.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **881वी** बैठक दिनांक 02.04.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्ट या परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परिवेष पोर्टल पर अपलोड क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से सर्टिफाईड कम्पलाईंस रिपोर्ट के साथ संलग्न फेसिंग एव जियोटेग फोटोग्राफ के आधार पर जब गूगल ईमेज पर अक्षांष देषांष का परीक्षण किया गया तो फोटो ग्राफ में अंकित अक्षांष देषांष लीज क्षेत्र के ना होकर किसी अन्य स्थान के परिलक्षित हो रहे है, जिससे स्पष्ट होता हैकि प्रकरण में सर्टिफाईड कम्प्लाईंस रिपोर्ट के साथ संलग्न फोटोग्राफ गलत अपलोड किये गये है जोकि एक गंभीर त्रुटि है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण/अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीरकुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य
18/6/26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) जिला मण्डला :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 882वीं बैठक दिनांक 07/04/26 में जिला मण्डला की रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

*"........**After presentation of DSR of Sand minor mineral of Mandla District the SEAC committee observed that –***

The DSR report must be in line with MoEF&CC notification dated 25.07.2018, the submitted DSR requires clarification on following points:

- *The report must incorporate the compliance of H'ble Supreme Court Order dated 22.08.2025 emphasizing Replenishment Study etc.*
- *There should be clarity regarding new / virgin sand mines in the river stratch along with existing / proposed mines in the u/s & d/s of the site in individual mine on same tributary/stream leading to perrennial river.*
- *The details of mined out sand quantity in last 03 years for existing mines and status of replenishment quantity year-wise in individual mine.*
- *The replenishment study must inclusive of protection of natural course of the stream, benthic level, self cleansing velocity of flow, aquatic life, vegetation along the river course due to proposed mining operation.*
- *The DSR must be inline with OM issued by MoEF&CC dated 25/07/2018, the relevant structure para of the report must be clear about secoundary data its authenticity and reference.*
- *The methodology adopted/practiced for replenishment study in case of sand mine must be validated from reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc.*

आज दिनांक 08/04/2026 को** श्रीरीतेशकुमारबिसेन,खनिजअधिकारी(I/c) अपने पत्र क्र./खनिज/रेत/डीएसआर/2026/oदिनांक 08/04/2026 पत्र क्र./खनिज/रेत/डीएसआर/2026 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की साथ ही पत्र में उल्लेख किया कि - **मण्डला जिले में पूर्व से संचालित 26 रेत खदानो के अतिरिक्त नवीन रेत खदाने म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 एवं इन्फोर्समेंट एंड मानिटरिंग गाईडलाइन फार सेंड माइनिंग 2020 में विहित प्रावधानो के अनुसार प्रस्तावित की गई है, जिसमें से 13 नवीन रेत खदाने घोषित की गई है। उक्त प्रस्तावित नवीन रेत खदानो का समावेश जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर 3 में किया गया हैउक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी। संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) को (SEAC) की 882वीं बैठक दिनांक08.4.2026 में प्रस्तुतीकरण रखा गया था, जिसमें निम्नानुसार 07 रेत खदानों को प्राथमिकता अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध है-

(सुधीरकुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

क्र.	खदानकानाम	ग्रामकानाम	ख. क्र.	रकबा)हे(.	खननयोग्यमात्रा)घ.मी. में(
1	बरबसपुरजार	बरबसपुरजार	01	1.30	11700
2	हिरदेनगर	हिरदेनगर	220	3.00	18000
3	तिलई	तिलई	707	1.60	23040
4	सुरखी	सुरखी	01	3.00	36000
5	कामतामाल	कामतामाल	140	4.90	26460
6	कातामालन01.	कातामाल	719	3.00	28800
7	भडिया	भडिया	172	4.90	20160
कुल				18.20	164160

यह कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूर्व से सम्मिलित / संचालित 23 रेत खदानों की वार्षिक मात्रा 7,23,400 घन मीटर है, तथा उपरोक्त तालिका में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़े जाने वाली नवीन प्रस्तावित रेत खदानों की कुल मात्रा 1,64,160 घन मीटर है।

The Incharge Mining Officer- Mandla presented DSR- duly approved by District level Committee for incorporation of 13 sand mines for 13,39750cum. (till Feb. 2026).

The committee has discussed the DSR at length with Incharge Mining Officer , District Mandla and arrive at considering, new 07 sand mines only out of 13 new sand mines at virgin stretches of the river . Considering the U/s & D/s length avialble for maintaining environmental ecology , replenishement at its natural course the DSR is recommended for approval of above 07 sand mines only for 164160 cum sand mining. The incharge Mining Officer is directed to make available the soft copy & hard copy of the DSR to MP SEIAA for onward action of DSR approval."

भारतसरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2016 एवं 25 जुलाई 2018 तथा Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथाEnforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal Nos. 36613662/2020 में पारित आदेश 10.11.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्ष एवं परीक्षण उपरांत SEAC की 882वी बैठक दिनांक 07–08 अप्रैल 2026 की अनुषंसा को मान्य करते हुए कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला से प्राप्त रेत खनिज की संषोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मण्डला का अनुमोदन किया जाता है। तदानुसार जिला कलेक्टर, मण्डला एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

18/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

18.06.26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय -

1. **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 948वी बैठक के कार्यवाही विवरण (MoM) की पुष्टि–**

   (i) SEIAA की 948वी बैठकदिनांक 04.05.2026 का कार्यवाही विवरण दिनांक 11.06.2026 को परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसमे बताया गया है कि इस बैठक मे श्री अमनदीप सिंह बैंस ने सदस्य सचिव के रूप मे भाग लिया है। भारत सरकार के परिवेष पोर्टल पर अपलोड किये गये MoM के पृष्ठ 93 सरल कमांक (5) List of Attendees में कमांक 3 पर उक्त नाम दर्षित है। परिवेष पोर्टल पर अपलोड की गई उक्त जानकारी गलत है।सही जानकारी यह है कि 948वी बैठक में सदस्य सचिव के रूप में श्री सुधीर कोचर ने भाग लिया था। जानकारी में तदानुसार सुधार किया जावे एवं सदस्य सचिव से यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यवाही विवरण तैयार करने में सम्यकसर्तकता बरती जावे एवं कार्यवाही विवरण में सही तथ्यों का ही उल्लेख किया जावे।

   (ii) SEIAA की 948वी बैठकमें 27 प्रकरणों को विचारण में लिया गया था। इनमें से 20 प्रकरणों में सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये थे एवं 07 प्रकरणों में बहुमत से निर्णय लिये गये थे। कार्यवाही विवरण में इण्डेक्स /Abstract भी तैयार किया जाता है।इसके साथ ही कार्यवाही विवरण में प्रकरण वार विवरण भी रहता है। परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये कार्यवाही विवरण में इण्डेक्स पर सदस्य सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। इस गलती को सुधारा जावे एवं भविष्य में सम्यक सर्तकता बरती जावे। परिवेश पोर्टल पर हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित जानकारी ही अपलोड की जावे।

   (iii) ईआईए अधिसूचना 2006 पैरा 3 (7) मेंउल्लेख हैकि " All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF." उक्त प्रावधान के अनुसार बहुमत से निर्णय लिये जाने की स्थिति में बहुमत से भिन्न मत रखने वाले सदस्य द्वारा Views का Detail दिये जाने का प्रावधान हैं, किन्तु अध्यक्ष/सदस्य के विरूद्ध टिप्पणी करने की शक्ति नहीं है।

15/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

18.06.26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iv) बहुमत से लिये गये निर्णयों के संबंध में सदस्य सचिव ने यह टीप दी है कि अध्यक्ष एवं सदस्य ने सदस्य सचिव द्वारा तैयार किये गये कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर नहीं किये है, यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि अध्यक्ष एवं सदस्य ने सदस्य सचिव द्वारा तैयार किये गये कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य नहीं है। अध्यक्ष एवं सदस्य को विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। इसलिये अध्यक्ष एवं सदस्य ने सदस्य सचिव द्वारा तैयार किये गये कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर नहीं किये एवं बहुमत के आधार पर निर्णय लिया। सदस्य सचिव ने यह भी टीप दी कि "अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय, बैठक के दौरान लिये गये निर्णय से भिन्न है" इसमें वास्तविकता यह है कि बैठक के दौरान सदस्य सचिव प्रकरणों के तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाये थे उन्होंने जिन प्रकरणों में ऐसे तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया एवं कार्यवाही विवरण तैयार किया उन्हीं प्रकरणों में अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा सदस्य सचिव के मत से सहमत न होते हुए राज्य स्तरीय विषेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की अनुषंसा के आधार पर बहुमत से निर्णय लिया गया। बैठक में अकेले सदस्य सचिव द्वारा लिये गये निर्णय बैठक का निर्णय नहीं माना जाता है। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति अथवा बहुमत से ही होता है।सदस्य सचिव से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में टीप देने में सम्यक सर्तकता बरते एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप टीप दें।

(v) सदस्य सचिव द्वारा यह भी टीप दी गई है कि "एजेण्डा में सम्मलित किसी भी प्रकरण के संबंध में बैठक के पूर्व या पष्चात् अथवा बैठक से इतर पृच्छा की जाने पर, पृच्छा का उत्तर दिये जाने का प्रावधान नहीं है" सदस्य सचिव की उक्त टीप भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 134(अ) दिनांक 07.01.2025 की कंडिका 11 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

18/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

18.06.26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय के अन्य विषय के बिन्दु क्र. 1 के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का अभिमत निम्नानुसार है :–

1. **बिन्दु कमांक 1 (i) के संबंध में लेख है कि** – उक्त 948वी बैठक का एजेण्डा दिनांक 10.04.2025 की मीटिंग हेतु श्री अमनबीर सिंह बैंस सदस्य सचिव के कार्यकाल के दौरान अपलोड हुआ था, जिसे वर्तमान सदस्य सचिव द्वारा पुनः दिनांक 04.05.2026 की मीटिंग हेतु Re-schedule कर परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर Technical Issue के कारण 948वी बैठक के MoM के पृष्ठ 93 पर श्री अमनदीप सिंह बैंस का नाम दर्शित हो रहा है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एन आई सी को संशोधन हेतु पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

2. **बिन्दु कमांक 1 (ii) के संबंध में लेख है कि** – 948वी बैठक के कार्यवाही विवरण का इण्डेक्स अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, किन्तु उसमें सदस्य सचिव का नाम अंकित नहीं होने के कारण सदस्य सचिव के हस्ताक्षर नहीं हो सके।

3. **बिन्दु कमांक 1 (iii) के संबंध में लेख है कि** –सदस्य सचिव द्वारा बहुमत के आधार पर लिये गये निर्णयों पर सिर्फ अपना मत विनम्रता पूर्वक अंकित किया गया है। प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य के विरूद्ध कोई टिप्पणी नहीं की गई है और न ही ऐसी टिप्पणी करने की सदस्य सचिव की कोई मंशा रही है।

4. **बिन्दु कमांक 1 (iv) के संबंध में लेख है कि** – बैठक में बहुमत के निर्णयों से सहमत न होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 की कंडिका 3(7) के अनुसार सदस्य सचिव द्वारा पृथक से अपना मत अंकित किया गया है।

5. **बिन्दु कमांक 1 (v) के संबंध में लेख है कि** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.01.2025 की कंडिका 11 में "The State Government of Madhya Pradesh shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification."का प्रावधान है।

(सुधीर कुमार कोचर) 18/6/26
सदस्य सचिव